GOVERNMENT OF INDIA



असाधारण

EXTRAORDINARY प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

दिल्ली, सोमवार, फरवरी 6, 2017/माघ 17, 1938

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 348

[N.C.T.D. No. 348

No. 411

DELHI, MONDAY, FEBRUARY 6, 2017/MAGHA 17, 1938

भाग—IV

PART-IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार COVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

महिला एवं बाल विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 3 फरवरी, 2017

सं. फा. 41(22) / डीएसडब्ल्यू—डब्ल्यूसीडी / एफएएस / स्कीम संषो. / 09—10 / 35589—95. — राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 18 से 60 वर्ष तक के आयु समूह की दिल्ली निराश्रित महिला प्रेशन क्षोजन 30:0 में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त रुपर्वक एवं प्रारंभ:-(1) इन नियमों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 18 से जीवनपर्यंत आयु समूह की दिल्ली असाक्षेत्र महिला पेंशन योजना (संशोधन) नियमावली, 2016 कहा जायेगा।
- ये दिल्ली अजयह में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। (2)
- नियम 2 में आयु वर्ग 18 से 60 वर्ष'' शब्दों के स्थान पर ''आयु वर्ग 18 वर्ष से जीवनपर्यंत'' शब्दों को प्रातेखाणित क्षयः जाता है।
- नियम ४ में, अपनियम (ii) में "उसके परिवार" शब्दों के स्थान पर "आवेदक" शब्द तथा "60,000/—रुपये" शब्द के स्थान कर "1,00,000 / -रुपये (सभी स्रोतों से)" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाता है।
 - नियम 5 की लेफिएन— राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 18 से 60 वर्ष तक के आयु वर्ग की दिल्ली निराश्रित र्वहरू परान के अना 2010 (इसके पश्चात् मूल नियमावली के रूप में संदर्भित है), नियम 5 (2) के स्थान पर िरुपाले कि । के स्थापित किया जाता है कि :-
 - (1) राजी कर कार्यवर्कों को लाभ के हस्तांतरण के लिए आधार संख्या जमा करना एवं आधार संरक्षित खाता वंस अस्य अस्यक होगा। हालांकि मौजूदा लाभार्थियों (निराश्रित महिला) को अधिकतम एक वर्ष की अवधि के भारत अपन भरख्या / आधार संरक्षित बैंक खाता प्रदान करने की अनुमति दी जाती है जिसके न देने पर वशन एद से जाएगी।

नियम 12 का संषोधन— राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 18 से 60 वर्ष तक के आयु वर्ग की दिल्ली निराश्रित शहला पेशन योजना 2010 (इसके पश्चात् मूल नियमावली के रूप में संदर्भित है), नियम 5 (2) के स्थान पर नियमसिखित प्रतिस्थापित किया जाता है कि:—

(vi) निर्शाश्रत महिला पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदक वृद्धावस्था पेंशन एवं विकलांगता
पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, दिलराज कौर, सचिव

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT NOTIFICATION

Delhi, the 3rd February, 2017

F. 41(22)/DSW-WCD/FAS/Sch. Amend/09-10/35589-95.—The Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules to amend Delhi Pension Scheme to Women in Distress, the National Territory of Delhi, in the age group of 18-60 years, 2010, namely:-

Short (title and Commencement: 1)i) These Rules may be called Delhi Pension Scheme to Women in Distress Amendment. Rules, 2016, National Capital Territory of Delhi, in the age group of 18 years to Intelong

- ii) They shall come into force from the date of Publication in the Delhi gazette.
- 2) i) in the Rule 2 for the word "the age group 18 to 60 years" shall be substituted with word "the age group 18 years to lifelong"
 - ii) In the Rule 4, in the sub –rule (ii) for the word "Her Family" will be substituted with the word "The applicant" and to the word "Rs. 60,000", the word "Rs. 1,00,000(from all sources)", shall be substituted
- 3) Amendment of Rule 5 of Delhi Pension Scheme to Women in Distress, the National Territory of Delhi, in the age greep of 18-60 years, 2010(hereinafter referred as Principal Rules), for the Rule 5 (2) it is substituted that is
 - (i) All new applicants shall have to furnish Aadhar number and Aadhar seeded account shall be a must for transfer of benefit. However, the existing beneficiaries (Women in Distress) can be allowed to provide Aadhar number/Aadhar seeded bank accounts within a maximum period of one year failing which Pension shall be stopped
- Amendment of Rule12 of Delhi Pension Scheme to Women in Distress, the National Territory of Delhi, in the age group of 18-60 years, 2010(hereinafter referred as Principal Rules), for the Rule 5 (2) it is substituted that is
- (vi) Applicants applying under the Scheme Pension to Women in Distress will not be eligible for Old Age Pension and Disability Pension

By Order and in the Name of Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

Dr. DILRAJ KAUR, Secy.

Uplanded by Die, of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.02.13 14:59:05 +05'30'